नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Raipur Main - 06 Jul 2025 - 06p13
epaper.navabharat.news

बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली, डीजीपी जेल से मांगा जवाब

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों से पैसे की जबरन वसूली पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस मामले में महानिदेशक जेल को व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब मांगा है। दरअसल लुकेश्वरी जोश अब्राहम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी। 4 जुलाई को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बैंच में इसकी सुनवाई हुई, तब ये मामला संज्ञान में आया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जेल महानिदेशक को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने आदेश जारी किया है कि कैसे आवेदक ने अपने पति के साथ, जो हत्या के मामले में निरुद्ध है, अन्य जेल बंदियों के परिवार के सदस्यों से पैसे की जबरन वसूली की है, जो जेल में निरुद्ध हैं।